india.gov.in INDIA

झारखण्ड सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

सूचना

जनसामान्य के रोजमर्रा के कार्यों यथा- जन्म एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र तथा दाखिल-खारिज,राशन कार्ड के समयबद्ध निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है ताकि जनता को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े-

(1) जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की समय सीमा- अधिकतम समय-सीमा 21 दिन।

(क)	प्रखण्ड/अंचल कार्यालय	-7 दिन
(ख)	अनुमंडल कार्यालय	-7 दिन
(ग)	जिला कार्यालय	-7 दिन

(2) आय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की समय-सीमाः अधिकतम समय-सीमा 14 दिन।

(क)	अंचल कार्यालय	-7 दिन
(ख)	अनुमंडल कार्यालय	-7 दिन

(3) आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की समय-सीमाः अधिकतम समय-सीमा 14 दिन।

(क)	अंचल कार्यालय	-7 दिन
(ख)	अनुमंडल कार्यालय	-7 दिन

(4) जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र निर्गत करने की समय-सीमाः

(क) समान्य निबंधन - अधिकतम समयासीमा 21 दिन
आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर
निबंधन कर प्रमाण पत्र उपलब्ध करा देगे।
-समक्ष पदाधिकारी यथा अनुमंडल
पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/
जिला सांख्यिकी पदाधिकारी से आदेश
प्राप्त कर शपथ पत्र लेते हुए आवेदन

प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर निबंधन
करते हुए प्रमाण-पत्र
उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(5) दाखिल-खारिज करने की समय-सीमा :

(क) सामान्य दाखिल-खारिज जिसमें आपत्ति प्राप्त न हो - अधिकतम 15 दिनों में
(ख) सामान्य दाखिल-खारिज जिसमें आपत्ति प्राप्त हो - अधिकतम 45 दिनों में
(ग) 45 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित दाखिल- खारिज के मामलों का निस्तारण
उपायुक्त/उनके द्वारा प्राधिकृत
पदाधिकारी द्वारा समीक्षोपरान्त
यथाशीघ्र किया जायेगा।

(6) राशन कार्ड वितरण की समय-सीमाः अधिकतम समय-सीमा 15 दिन।

(क) आपूर्ति निरीक्षक द्वारा आवेदन की जांच की अधिकतम समय -सीमा 7 दिन
(ख) पणन पदाधिकारी (एम.ओ.) द्वारा जांच की अधिकतम समय -सीमा 3 दिन।
(ग) कार्यालय द्वारा राशन कार्ड निर्गत करने की अधिकतम समय -सीमा 5 दिन

सभी संबंधित पदाधिकारियों को उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन के लिए निदेशित किया जा चुका है। साथ ही अनुपालन सुनिश्चित नहीं करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई करने का निदेश भी दिया गया है।

(अनिल कुमार राय)
उप सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची।